



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार-249404

E-mail-examtwo2@gmail.com

संख्या : 78/25/E-2/CJ-JD/2018-19

दिनांक : 17 अगस्त, 2020

## उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा-2019

### साक्षात्कार कार्यक्रम

विज्ञापन संख्या- A-3/E-2/CJ(JD)/2018-19 दिनांक 01 जून, 2019 के क्रम में उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा-2019 हेतु सम्पन्न मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम दिनांक 22.05.2020 में साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 17 सितम्बर से 20 सितम्बर, 2020 तक उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है:-

1. साक्षात्कार तिथि :- 17 सितम्बर, 2020 (गुरुवार)

उपस्थिति समय :- पूर्वाह्न 09:00 बजे | (प्रथम सत्र)

अनुक्रमांक	607800	606073	607439	606284	601298	603076
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

उपस्थिति समय :- अपराह्न 12:30 बजे | (द्वितीय सत्र)

अनुक्रमांक	603881	602459	605750	608442	606129
------------	--------	--------	--------	--------	--------

2. साक्षात्कार तिथि :- 18 सितम्बर, 2020 (शुक्रवार)

उपस्थिति समय :- पूर्वाह्न 09:00 बजे | (प्रथम सत्र)

अनुक्रमांक	602927	607888	602031	605754	601517	607834
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

उपस्थिति समय :- अपराह्न 12:30 बजे | (द्वितीय सत्र)

अनुक्रमांक	602249	605698	609887	603018	612864
------------	--------	--------	--------	--------	--------

3. साक्षात्कार तिथि :- 19 सितम्बर, 2020 (शनिवार)

उपस्थिति समय :- पूर्वाह्न 09:00 बजे | (प्रथम सत्र)

अनुक्रमांक	600165	605846	600229	607597	610568	602770
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

उपस्थिति समय :- अपराह्न 12:30 बजे | (द्वितीय सत्र)

अनुक्रमांक	606959	601092	601065	602169	612768
------------	--------	--------	--------	--------	--------

4. साक्षात्कार तिथि :- 20 सितम्बर, 2020 (रविवार)

उपस्थिति समय :- पूर्वाह्न 09:00 बजे | (प्रथम सत्र)

अनुक्रमांक	607500	602154	602810	606128	603656
------------	--------	--------	--------	--------	--------

उपस्थिति समय :- अपराह्न 12:30 बजे | (द्वितीय सत्र)

अनुक्रमांक	600246	603270	602295	604611	602270
------------	--------	--------	--------	--------	--------

### महत्वपूर्ण निर्देश

- उपरोक्त साक्षात्कार परीक्षा हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन साक्षात्कार-ज्ञाप जारी किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी साक्षात्कार ज्ञाप के साथ विस्तृत आवेदन-पत्र (प्रपत्र संख्या-02) प्रमाणीकरण-प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) तथा देशना-प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-04) आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करें तथा उन्हें पूर्ण रूप से भरते हुए अपने सभी प्रमाण-पत्रों और अंक-तालिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।
- अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को समस्त शैक्षिक अर्हता/आरक्षण/अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल रूप में सत्यापन हेतु आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। (अ0पि0व0 का प्रमाण पत्र अप्रैल, 2016 से पूर्व का नहीं होना चाहिए) उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्रवेश प्रदान नहीं किया जायेगा।
- अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा साक्षात्कार-ज्ञाप प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
- प्रत्येक दिन साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से सत्यापन, अनुक्रमांकवार प्रथम सत्र हेतु पूर्वाह्न 09.00 बजे से एवं द्वितीय सत्र हेतु अपराह्न 12.30 बजे से प्रारम्भ होगा।

-sd-

(राजेन्द्र कुमार)

सचिव।



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार-249404

E-mail-examtwo2@gmail.com

संख्या : 79/25/E-2/CJ-JD/2018-19

दिनांक :17 अगस्त, 2020

अनुभाग : परीक्षा अनुभाग-2

विज्ञापन संख्या : A-3/E-2/CJ(JD)/2018-19

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू.डि.) परीक्षा-2019

## साक्षात्कार ज्ञाप

एतद्वारा मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) (मुख्य) परीक्षा-2019 के दिनांक 22.05.2020 को घोषित परिणाम के आधार पर आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार आपका साक्षात्कार आयोग कार्यालय में पूर्वान्ह 9.00 बजे/अपरान्ह 12:30 बजे होना निर्धारित है।

2. इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार तिथियों पर प्रस्तुत करेंगे- (1) विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या-02) (2) प्रमाणीकरण प्रपत्र (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03) (3) देशना प्रपत्र (Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)

3. अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे-

(i) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिका। (ii) इण्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिका। (iii) स्नातक डिग्री एवं अंकतालिका (समस्त सेमेस्टर/वर्षों की)। (iv) विधि स्नातक डिग्री एवं अंकतालिका (समस्त सेमेस्टर/वर्षों की)। (v) अन्य अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (vi) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (vii) अभ्यर्थी यदि किसी सेवा में सेवारत है तो सेवानियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूलरूप में। (viii) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।

4. साक्षात्कार प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क (सामान्य वर्ग हेतु रू0 150 एवं आरक्षित वर्ग/पूर्व सैनिक रू0 60) आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

5. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज (आवक्ष) के नवीनतम दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लाएं।

6. यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर प्रस्तुत करना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

7. विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

8. आयोग परिसर में मोबाइल फोन, ब्ल्यूटूथ डिवाइस, कैमरा तथा अन्य किसी भी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण लाना निषिद्ध है।

9. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थी आयोग वेबसाइट पर प्रसारित शासनादेश संख्या:- 505/USDMA/792(2020) दिनांक 04 अगस्त, 2020 में कोविड-19 के तहत वर्णित प्राविधान का कड़ाई से अनुपालन करते हुये साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

-sd-

(राजेन्द्र कुमार)

सचिव